

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 683 / 11-सी-FP/UP/Road/146875/2021, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर 12, 2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विषय:-

सीतापुर-हरदोई (राजमार्ग संख्या-330डी) के किमी० 0.000 से 38.853 तक दो लेन से चार लेन पेब सोल्डर सहित चौड़ीकरण में सीतापुर वन प्रभाग में प्रभावित 28.707 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1549 वृक्षों के पातन तथा हरदोई वन प्रभाग में प्रभावित 8.28 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1200 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 36.987 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2749 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित ऑनलाइन प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ, प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, सीतापुर एवं हरदोई की संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त निम्नांकित अभिलेखों सहित ऑनलाइन प्रस्ताव इस आशय से प्रेषित है, कि कृपया विषयांकित प्रयोजन हेतु वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के धारा-2 के अन्तर्गत आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड है।
2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड है।
3. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल ऑनलाइन अपलोड है।
4. परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश ऑनलाइन अपलोड है।
5. मानक शर्तों के मान्य होने की वचनबद्धता ऑनलाइन अपलोड है।
6. प्रस्तावित वनभूमि का सत्यापित Geo Referenced Digital Map ऑनलाइन अपलोड है।
7. प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन ऑनलाइन अपलोड है।
8. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोग्राफी एवं Geo Referenced Digital Map ऑनलाइन अपलोड है।
9. प्रस्ताव में 10 किमी० परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के संबंध में प्रभागीय निदेशक का प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड है।
10. गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित छायाप्रति ऑनलाइन अपलोड है।
11. वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता ऑनलाइन अपलोड है।
12. अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने एवं आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड है।
13. परियोजना में पातन होने वाले बाधक वृक्षों का व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची ऑनलाइन अपलोड है।
14. पूर्ण प्रस्ताव की पी०डी०एफ० फाइल ऑनलाइन अपलोड है।
15. प्रकरण 1.0 पोर्टल से सम्बन्धित है, जिस कारण से परियोजना जॉच समिति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
16. On line data entry का Time Line Detail संलग्न है।

संलग्नक:-संस्तुति पत्र।

भवदीय,

18
(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 683 / 11-सी-FP/UP/Road/146875/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, सीतापुर एवं हरदोई।
3. अधिशासी अभियन्ता, एन०एच० डिवीजन, लो०नि०वि०, कानपुर।

18
(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

भाग - III

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय सम्बंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए)	CCF लखनऊ मंडल को सस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ मस्तुति की जाती है।
----	---	--

दिनांक :--- 12/9/23

स्थान

हस्ताक्षर Anupam Gupta
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
नाम U.P. Lucknow

सरकारी मोहर